अध्याय – IV

परिरक्षण एवं संरक्षण कार्य

प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण[27] तथा संरक्षण[28] एक बहु-आयामी प्रक्रिया है जिसके लिए शोधकर्ताओं, तकनीशियनों, वास्तुविदों तथा इतिहासकारों की सहायता आवश्यक है।

प्राचीन भवनों के परिरक्षण तथा पुनरूद्धार हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य तथा निर्धारित किये जाने चाहिए जिसमें प्रत्येक देश अपनी संस्कृति तथा परम्पराओं के ढांचे के भीतर योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।[29]

इसके लिए परिरक्षण तथा संरक्षण कार्यों की योजना तथा क्रियान्वयन के मानक बनाए जाना आवश्यक है। भा.पु.स. तथा मंत्रालय, नीति निर्धारण मानक तय करने, निगरानी तथा संरक्षण कार्यों के दस्तावेजीकरण में कमतर पाये गये।

स्मारकों के संरक्षण तथा पुनरूद्धार को सभी उन विज्ञानों तथा तकनीकों का आश्रय प्राप्त होना चाहिए जो वास्तु विरासतों[30] के अध्ययन तथा सुरक्षण में योगदान दे सकें।

4.1 नीति, दिशानिर्देशों तथा निगरानी की पर्याप्तता

4.1.1 संरक्षण नीति का अभाव

भा.पु.स. के पास परिरक्षण तथा संरक्षण की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक अद्यतन तथा अनुमोदित संरक्षण नीति नहीं थी। मंडलों के लिए कोई संकलित अनुदेश नहीं थे। भा.पु.स. ने बताया कि वह सर जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल का अनुरक्षण कर रहा है जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त भा.पु.स. 1923 में प्रकाशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मैनुअल तथा पुरातत्व कार्य संहिता का भी पालन कर रहा है जो 30 वर्षों से अधिक पुराने हैं।

एक व्यापक संरक्षण नीति के अभाव में इन संस्थाओं का प्रदर्शन मूल्यन काफी व्यक्तिनिष्ठ पाया गया। मैनुअल तथा कार्य संहिता के संशोधन की प्रक्रिया, जो 2011 में आरम्भ हो चुकी थी, का दिसंबर 2012 तक कोई परिणाम नहीं निकल पाया था।

---

27 परिरक्षणः किसी स्मारक को क्षति अथवा संकट से बचाने की प्रक्रिया

28 संरक्षणः स्मारक के उसकी वर्तमान स्थिति में रख-रखाव से संबंधित प्रक्रिया

29 स्मारको एवं स्थलों के संरक्षण तथा पुनरूधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र ((वेनिस घोषणापत्र 1964)

30 संरक्षण तथा पुनरूद्धार हेतु अं.स्मा.स्थ.प. के अंतराष्ट्रीय घोषणपत्र

4.1.2 भा.पु.स. मुख्यालय की अप्रभावी निगरानी

जैसा पहले बताया गया है, परिमंडलीय कार्यालय स्मारकों के परिरक्षण तथा संरक्षण हेतु कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। भा.पु.स. कार्य संहिता के अनुसार, परिमंडलीय अधीक्षण पुरातत्वविद कार्य निष्पादन के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सूचित करने तथा दस्तावेजों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी था। महानिदेशक, भा.पु.स. मंडलीय प्रमुख के निष्पादन की निगरानी हेतु समग्र रूप से उत्तरदायी थे।

संरक्षण कार्य किये जाने में हमने निम्न अनियमितताएँ देखीं : -

- ✓ अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा परीक्षण की कोई अनिवार्य आवश्यकता निर्धारित नहीं की गयी थी;
- ✓ स्थल निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण टिप्पणियों का न बनाया जाना;
- ✓ कार्य अनुमानों के समग्र दस्तावेजीकरण का अभाव;
- ✓ संरक्षण कार्यों की त्रुटिपूर्ण बजटीकरण के कारण अतिरिक्त मद का शामिल होना;
- ✓ कार्य पूर्ण होने में विलम्ब; तथा
- ✓ संरक्षण के उपरांत फोटोग्राफ सहित समापन रिपोर्टों का तैयार न किया जाना।

4.1.3 संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के अनुसार स्मारकों की स्थिति

हमने 1655 (45 प्रतिशत) स्मारकों का संबंधित स्मारकों के उपपरिमंडलीय कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के साथ संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। निरीक्षण से संरक्षण के कई मुद्दे तथा चिंताएं सामने आई। इनमें से कुछ निम्नानुसार थे :-

- ✓ 63 स्मारकों में प्लास्टर उतर रहा था।
- ✓ 78 स्मारकों में उपमंडलीय कार्यालयों द्वारा खर पतवार समुचित रूप से नहीं हटाई गई थी।
- ✓ 33 स्मारकों में, दीवारों में बड़ी दरारें आ चुकी थीं जिन्हें तुरंत मरम्मत की आवश्यकता थी।
- ✓ 64 स्मारकों को तत्काल रसायनिक उपचार/सफाई की आवश्यकता थी। इन स्मारकों में बैंगलूरू परिमंडल में हंपी के मंदिर, औरंगाबाद परिमंडल में लक्ष्मी नारायण मंदिर, धारवाड़ परिमण्डल में बीदर किला तथा दिल्ली परिमंडल में जंतर मंतर शामिल थे।
- ✓ मान्य संरक्षण सिद्धान्तों के अनुसार, भा.पु.स. के स्मारकों में सीमेंट का प्रयोग प्रतिबंधित था। यहाँ तक कि जॉन मार्शल का संरक्षण मैनुअल भी यही निर्देश देता है। तथापि, 64 स्मारकों में प्रमुख ढाँचे पर सीमेंट का प्रयोग पाया गया। इसमें आगरा परिमंडल में

ताजमहल, फतेहपुर सीकरी तथा झाँसी दुर्ग; भोपाल परिमंडल में गुलारा महल तथा देहरादून परिमंडल में बैजनाथ मंदिर शामिल थे।

- ✓ 63 स्मारकों में सीलन देखी गयी।
- ✓ 33 स्मारकों में या तो स्मारक की बनावट/संरचना में बदलाव किया गया था या बेलबूटों को मिटा दिया गया था।
- ✓ तीन स्मारकों में आधुनिक टाइलों का प्रयोग किया गया था जिससे स्मारकों का मौलिक स्वरूप बदल गया था।
- ✓ 40 स्मारकों में दीवार अथवा स्मारक के गुबंदों के कुछ हिस्से काफी समय से टूटे हुए थे। फिर भी, भा.पु.स. द्वारा इनकी मरम्मत पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
- ✓ 16 स्मारकों में मौलिक पत्थर तथा टाईलें स्मारक से गायब थीं।
- ✓ 12 स्मारकों में स्मारक में कचरा/मलबा पड़ा हुआ था।
- ✓ तीन स्मारक ऐसे थे जहाँ स्मारक की छत क्षतिग्रस्त पायी गई थी जहां बड़ी दरारें देखी गयीं। उदाहरण के तौर पर शिमला परिमंडल में वाइस रीगल लॉज के ऊपरी तथा निचले तहखाने की गुबंदाकार छत।

ऊपर उजागर किये गये मामलों ने भा.पु.स. द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संरक्षण नीति कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता दर्शायी।

4.2 संरक्षण दस्तावेजीकरण

4.2.1 संरक्षण कार्यों की कार्यदैनिकी का रख-रखाव

"सांस्कृतिक विरासत का अभिलेखन निर्माण कार्यों तथा सांस्कृतिक विरासतों में किये गये बदलावों के सोचे समझे प्रबंधन तथा नियंत्रण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विरासत का रखरखाव तथा संरक्षण उसकी भौतिक अवस्था, उसकी बनावट सामग्री, निर्माण तथा उसकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्ता के प्रति संवेदनशील है"[31]

किसी स्थल पर समुचित संरक्षण किये जाने के लिए पूर्व में किये गये संरक्षण प्रयासों पर पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक था जैसे उपयुक्त सामग्री, किये गये बदलाव, वास्तुचित्र इत्यादि। हमने देखा कि पहले भा.पु.स. प्रत्येक स्मारक के लिए कार्य दैनिकी रखता था जिसमें स्मारक पर किये गये कार्यों के बारे में सारी जानकारी होती थी। परंतु हमने पाया कि इस प्रथा का पालन अब नहीं किया जा रहा था।

[31] अक्तूबर 1996 के 11 वें अं.स्मा.स्थ.प. सोफिया महाधिवेशन में अनुमोदित किये गये स्मारकों, भवन समूहों तथा स्थलों के अभिलेखन के सिद्धांत (1996)

संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की उद्देश्यपूर्ति के लिए भा.पु.स. में तीन पृथक शाखाएँ थीं- परिमंडल (संरचनात्मक संरक्षण), बागवानी (पर्यावरणीय) तथा विज्ञान (रसायनिक सफाई तथा उपचार)। इन शाखाओं के बीच समन्वय के अभाव तथा भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा निगरानी की बेहद खराब स्थिति के कारण एक विशेष स्मारक पर किये गये व्यय तथा संरक्षण प्रयासों का ब्यौरा विस्तृत रूप में उपलब्ध नहीं था।

खराब अभिलेखीकरण का प्रमाण बागवानी शाखा में भी स्पष्ट था जहाँ हमने पाया कि बागवानी निदेशालय के पास उद्यानों तथा मौलिक विरासत उद्यानों की कुल संख्या की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। बागवानी निदेशालय ने सूचित किया कि उद्यानों की कुल संख्या 504 थीं जबकि उसके चारों प्रभागों से प्राप्त समेकित संख्या 525 थी। इसी प्रकार निदेशालय कार्यालय के अनुसार, मौलिक रचना वाले उद्यानों की कुल संख्या 60 थी। परंतु यह संख्या उसी के प्रभागीय कार्यालय से प्राप्त सूचना से मेल नहीं खाती थी।

किसी प्रामाणिक अभिलेखीकरण के अभाव में किसी क्षतिग्रस्त हिस्से, मरम्मत के अधूरे कार्य इत्यादि के लिए जबावदेही तय कर पाना कठिन था। उदाहरण के लिए संरक्षित स्मारकों में सीमेंट का प्रयोग निषिद्ध था। हमने ऐसे कई मामले देखे जहाँ सीमेंट का प्रयोग किया गया था। परन्तु दस्तावेजीकरण के अभाव में जबावदेही तय करना अथवा अनियमितता का कोई ब्यौरा निर्धारण कर पाना मुश्किल था।

हमने पाया कि 1984 में मिर्धा समिति ने भी यह कहकर ऐसे अभिलेखीकरण की आवश्यकता पर बल दिया था कि किये गये कार्य के पूर्ण ब्यौरे सहित स्मारक की कार्य दैनिकी भविष्य के संदर्भों के लिए रखी जानी चाहिए। परन्तु भा.पु.स. ने मिर्धा समिति के इस सुझाव पर कोई कार्यवाही नहीं की।

4.2.2 कार्य संबंधी अभिलेखों का रख-रखाव

पुरातत्वीय कार्य संहिता किसी स्मारक पर किये गए संरक्षण कार्य के अभिलेखीकरण हेतु निम्न अभिलेख निर्धारित करती है:-

1. रोकड़ पुस्तिका (फार्म टी आर 4)
2. माप पुस्तिका (फार्म के.लो.नि.वि.-92)
3. निविदा तथा अनुबंध अभिलेख जैसे, ठेकेदार बहीखाता, निविदा बिक्री तथा निविदा खोलने के पंजिका, अनुबंध तथा प्रतिपूति पंजिका
4. अनुमान जिसमें पेशगी कार्यों का पंजिका तथा संस्वीकृत अनुमान शामिल हैं।
5. अन्य निर्माण कार्य संबंधी अभिलेख जैसे उपकरण तथा सयंत्र, अदत्त मजदूरी, सीमेंट भण्डार इत्यादि की पंजिका,

इसके अतिरिक्त श्रमिक ब्यौरे का श्रम पंजिका, दैनिक श्रम रिपोर्ट इत्यादि के रूप में अभिलेखीकरण भी रखा जाना अपेक्षित था।

हमने पाया कि कई परिमंडलों जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ तथा भुवनेश्वर, ने निर्माणकार्य पंजिका नहीं रखी थी जिससे अनेक संरक्षण कार्यों पर वर्ष-वार ब्यौरे तथा मद-वार खर्च सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

अनुशंसा 4.1: *मंत्रालय को एक व्यापक संरक्षण नीति विकसित करनी चाहिए तथा इसकी नियमपुस्तिकाओं तथा कार्य संहिता को सामयिक बनाना चाहिए। भा.पु.स. द्वारा प्रत्येक संरक्षित स्मारक के लिए कार्यदैनिकियाँ रखी जानी अनिवार्य की जानी चाहिए जिसमें सभी संरक्षण प्रयासों का विस्तृत अभिलेखीकरण हो।*

अनुशंसा 4.2: *निर्माण कार्य संबंधी अभिलेखों का रखरखाव परिमंडल/प्रभाग प्रमुख का उत्तरदायित्व किया जाना चाहिए जिसकी भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से नमूना जाँच आधार पर परिवीक्षा की जानी चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि आवश्यक अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।

4.3 संरक्षण कार्यों की योजना में अनियमितताएँ

तालिका 4.1 संरक्षण कार्यों की योजना में अनियमितताएँ

क्र.सं.	अनियमितता	विवरण
1.	संरक्षण हेतु स्मारकों के चयन के मापदण्ड	• भा.पु.स. द्वारा जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। • परिमंडलों/शाखाओं में विभिन्न कार्यों में प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। • निर्माण कार्य कर्मचारियों के व्यक्तिपरक आंकलन के अनुसार मुख्यतः तदर्थ रूप में किये जा रहे थे।
2.	विशेष मरम्मत कार्य/वार्षिक रखरखाव कार्य के बिना स्मारक	• संरक्षण कार्यों हेतु योजना तथा स्मारकों के प्राथमिकीकरण हेतु कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं था

		• भा.पु.स. विशेष मरम्मत तथा वार्षिक मरम्मत की स्मारक-वार सूचना नहीं दे पाया • 765 स्मारकों में कोई विशेष मरम्मत नहीं की गयी तथा 691 स्मारकों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई वार्षिक मरम्मत कार्य नहीं किया गया।
3.	संशोधित संरक्षण कार्यक्रम (सं.स.का.) की प्रस्तुति में विलंब	• परिमंडलों/शाखाओं द्वारा महानिदेशक भा.पु.स. को सं.स.का. प्रस्तुत करने में 69 दिनों तक का विलम्ब था जिसे फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाना था तथा अगले वित्त वर्ष में कार्यान्वित करना था। • संरक्षण कार्यों के प्रथम चरण में विलम्ब के प्रपातन प्रभाव से अगले चरणों में और विलंब होता गया।
4.	सं.स.का की भा.पु.स. मुख्यालय पर संवीक्षा	• भा.पु.स. मुख्यालय सभी मंडलों/शाखाओं से नियमित रूप से व्यय विवरण प्राप्त नहीं कर रहा था। • वास्तव में प्राप्त किये गये व्यय विवरणों की कोई संवीक्षा नहीं की जा रही थी। • उदाहरण के तौर पर, दिल्ली परिमंडल के हौज खास परिसर पर अनुमानित व्यय की राशि 2010-11 के सं.स.का. में ₹ 14.63 लाख दिखाई गयी थी तथा 2010-11 तथा 2011-12 के लिए अतिरिक्त आवश्यकता क्रमशः ₹ 83.81 तथा ₹ 10.00 लाख दर्शाई गयी थी।
5.	संस्वीकृत निर्माण कार्य जिन्हें कराया नहीं गया	• पाँच मंडलों[32] में महानिदेशक भा.पु.स. द्वारा स्वीकृत ₹ 5.37 करोड़ के 103 निर्माण कार्य वर्ष के दौरान नहीं आरंभ किये जा सके। • महानिदेशक भा.पु.स. द्वारा स्वीकृत कार्यों को आरंभ न किए जाने के अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाए गये।
6.	आकलन बिना अनुमान	• दिल्ली, श्रीनगर तथा जयपुर परिमंडलों में स्वीकृत बजट तथा कार्यों पर वहन किये गये खर्चों का मिलान नहीं हुआ।

[32] शिमला, राँची, गोवा, गुवाहाटी तथा दिल्ली

		• स्वीकृत बजट तथा व्यय में अंतर 266 प्रतिशत तक था। • महानिदेशक भा.पु.स. ने अनुमोदित बजट तथा वास्तविक बजट के बीच काफी भिन्नता के कारणों का पता लगाना सुनिश्चित नहीं किया।
7.	संशोधित संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कराए बिना निर्माण कार्य किया जाना	• दिल्ली तथा गोवा परिमंडलों में क्रमशः ₹ 4.34 करोड़ के 30 कार्य तथा ₹ 23.29 लाख के 8 कार्य सं.स.का. में शामिल किये बिना आरंभ कराये गये। वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय इन कार्यों का नियोजन नहीं किया गया था।
8.	योजना बजट शीर्षों में गैर-योजना मदों का समावेश	• चार परिमंडलों[33] में संशोधित संरक्षण कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत ₹ 10.37 करोड़ के विशेष मरम्मत के कार्य आवर्ती कार्य में शामिल थे जैसे पेड़-पौधों की छँटाई, जालीदार बाड़, पगडंडियों पर कार्य जिन्हें वार्षिक मरम्मत की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था। • विश्व विरासत स्थलों तथा टिकट लगाए गये स्मारकों से संबंधित उद्यानों के रखरखाव पर व्यय को गलत तरीके से योजनागत शीर्षों के अंतर्गत बुक किया गया। • विज्ञान शाखा में, 2007-08 के दौरान ₹17.97 लाख की राशि का व्यय प्रभागीय/आंचलिक कार्यालयों द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद, विज्ञान प्रयोगशाला के चलन, उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध इत्यादि पर किया गया।
9.	योजनागत मदों का गैर-योजना शीर्षों में समावेश	• दिल्ली परिमंडल के फ्लैग स्टाफ टावर के 2011-12 के दौरान किये गये संरक्षण कार्य पर ₹ 7.04 लाख की लागत आई। कार्य की मदों में पुराने गले हुए प्लास्टर उखाड़ना, स्मारक पर गाढ़ा चूना प्लास्टर लगाना तथा

[33] दिल्ली, भोपाल, राँची तथा श्रीनगर

		छत पर मोटी कंक्रीट बिछाना शामिल थे। • उल्लेखनीय है कि विशेष मरम्मत कार्यों के लिए महानिदेशक का अनुमोदन आवश्यक था जबकि वार्षिक मरम्मत कार्य परिमंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा अनुमोदित थे।
10.	संरक्षण बजटीय शीर्षों के द्वारा कार्यालयी व्यय	• 176 उप-परिमंडलीय कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर और कार्ट्रिज, वाटर कूलर खरीदने तथा यात्रा आदि पर किये गये व्यय की पूर्ति लघु कार्य (गैर-योजना) के बजटीय शीर्ष से की गई थी जो विशेष रूप से संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए नियत किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन उप-परिमंडलीय कार्यालयों को कार्यालय व्यय शीर्ष के अंतर्गत कोई बजट नहीं दिया गया था।
11.	अपूर्ण कार्य	• ऐसे मामले पाए गए जहॉ विशेष मरम्मत कार्यों को पूरा किये बिना छोड़ दिया गया जैसे बैंगलूरू परिमंडल में विट्ठल मंदिर का संरक्षण कार्य जिसे 1999-2000 में आरंभ कर बीच ही में छोड़ दिया गया।
12.	असंरक्षित स्मारकों पर अप्राधिकृत व्यय	• कई मामले पाये गये जहाँ मंडल ऐसे स्मारकों पर व्यय कर रहे थे जिन्हें प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया गया था। • दिल्ली मंडल ने जामा मस्जिद, जो एक असंरक्षित स्मारक है, पर ₹ 18.67 लाख खर्च किये। देहरादून परिमण्डल ने असंरक्षित मंदिरों पर व्यय किया। राँची मंडल ने 2008-09 में कोल्हन विश्रामगृह पर ₹ 2.30 लाख खर्च किए जिसका स्वामित्व झारखंड सरकार के पास है। इसी प्रकार हैदराबाद, बेंगलूरू तथा त्रिसूर मंडलों ने ऐसे स्मारकों पर व्यय किया जो केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में शामिल नहीं थे।

हम्पी विश्व विरासत स्थल में मंडप में पड़े स्तंभ

अनन्थाशयाना मंदिर, हम्पी, कर्नाटक में स्मारक के अंदर बिखरे हुए पत्थर

मिर्धा समिति ने समन्वित विकास आधार पर पर्यावरणीय संरक्षण सहित विस्तृत संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्मारकों की पहचान किये जाने की प्रबल अनुशंसा की थी। इस उद्देश्यपूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि बहु-विधा टीमों को स्मारकों की सभी समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके संरक्षण हेतु दिशानिर्देश तय करने को कहा जाना चाहिए। केवल तब संरचनात्मक स्थिरता, चित्रों/मूर्तिकलाओं के रासायनिक परिरक्षण परिवेश विकास, भूनिर्माण, इत्यादि के संबंध में स्मारकों की आवश्यकताओं की पूर्ण रूपेण पूर्ति हो सकेगी।

अनुशंसा 4.3: *प्रत्येक संरक्षित स्मारक की विशेष मरम्मत तथा रखरखाव की प्राथमिकता हेतु मापदण्ड होने चाहिए। इसे व्यापक संरक्षण नीति का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए।*

अनुशंसा 4.4: *विभिन्न परिमंडलों से महानिदेशक भा.पु.स. के कार्यालय में प्राप्त अनुमानों की संवीक्षा में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विकसित किये जाने चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) में अनुशंसा स्वीकार की तथा सूचित किया कि मसौदा संरक्षण नीति में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

4.4 त्रुटिपूर्ण सरंक्षण कार्य

ऐसे कुछ उपेक्षित स्मारकों की नीचे चर्चा की जा रही है जिन्हें तत्काल संरक्षण कार्यों की आवश्यकता है:-

1. सरस्वती मंदिर, सिंगनाथनहल्ली, बेंगलूरू परिमंडल

यह मंदिर एक सुदूर क्षेत्र में स्थित था जहाँ पहुँचने के लिए कोई समुचित मार्ग नहीं था। यह जीर्णशीर्ण अवस्था में था तथा इसे संरक्षण तथा समुचित प्रवेशमार्ग की अत्यंत आवश्यकता थी।

सरस्वती मंदिर, बेंगलुरू परिमंडल की जीर्ण शीर्ण दशा

2. कृष्ण परिसर, हम्पी, बेंगलूरू परिमंडल

मंदिर के महाद्वार (मुख्य प्रवेश द्वार) तथा पत्थर की दीवार पर दरारें आ गयी थीं तथा परिसर के भीतर अन्य ढाँचों सहित तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता थी। कृष्ण परिसर के अगले भाग में स्थित बाजार मंडप को भी संरक्षण की आवश्यकता थी।

हंपी, बंगलूरू परिमंडल स्थित कृष्ण मंदिर में दरारें

3. भूमिगत शिव मंदिर, हंपी, बैंगलूरू परिमंडल

हंपी में स्थित भूमिगत शिव मंदिर में जलभराव पाया गया जो निकटवर्ती खेतों से पानी के मंदिर में प्रवेश करने से हो गया था। अतः आगन्तुक मंदिर में प्रवेश करने में असमर्थ थे।

भूमिगत शिव मंदिर हंपी, बैंगलूरू परिमंडल में जलभराव

4. बटाकोट्टाई का किला, चेन्नई परिमंडल

चेन्नई परिमंडल ने कन्याकुमारी के बटाकोट्टाई किले में, चार साधारण स्तंभ वाले मंडपों में से एक मंडप को दीवारें तथा एक दरवाजा बनवाकर बंद कर दिया गया था। भा.पु.स. इसे एक भंडारगृह की तरह प्रयोग कर रहा था जिससे उसका मौलिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया था।

मंडप का मूल रूप तथा गोदाम के लिए रूपांतरण के पश्चात्

5. फतेहपुर सीकरी, आगरा परिमंडल

आगरा परिमंडल ने फतेहपुर सीकरी में स्थित टकसाल के संरक्षण हेतु संस्वीकृत ₹15.72 लाख की लागत के प्रति 2005-06 तक ₹7.45 लाख का व्यय किया। संरक्षण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किया गया था। मंडल के सहायक अधीक्षण पुरातत्व अभियंता द्वारा असंतोषजनक कार्य घोषित किये जाने पर कार्य को अवमानक घोषित कर बीच ही में रोक दिया गया। तब से कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

टकसाल घर फतहपुर सीकरी, आगरा

6. संगागिरि किला, चेन्नई परिमंडल

सालेम उपमंडल के चिन्नकावन्दानूर में स्थित संगागिरि किले में गढ़/दुर्ग की दीवार तथा पुश्ते की दीवार के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2006-10 के दौरान किया गया। कार्य की इन दो मदों पर कुल व्यय ₹ 13.61 लाख का हुआ। संयुक्त निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि दोनों गढ़/दुर्ग की दीवार तथा मंदिर की टंकी के पुश्ते की दीवारें, कार्य निष्पादन के उपरांत भी क्षतिग्रस्त अवस्था में थीं।

चिन्नकावन्दानूर, संगागिरी-क्षतिग्रस्त हालत में किले का गढ

चिन्नकावन्दानूर, संगागिरी- में निचली टंकी की क्षतिग्रस्त पुश्ते की दीवार

7. हैदराबाद परिमंडल में डोंका के एक हिस्से में स्थित गोपुरम सहित कृष्ण मंदिर, कल्याणमंडप स्थित कल्याणमंडपम तथा चिनाई द्वारा निर्मित टंकी

कल्याण मंडप में सिकुड़न तथा झुकाव के स्पष्ट संकेत भा.पु.स. द्वारा 1977 में ही सूचित किये गये थे जो पूर्ण मरम्मत तथा संरक्षण की ओर इशारा करते थे। ढाँचे को ढहाने का कार्य (2003-04 में ₹ 60.00 लाख पर संस्वीकृत) मार्च 2006 में पूरा किया गया। महानिदेशक भा.पु.स. के द्वारा मंडप के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 3.48 करोड़ के अनुमान की संस्वीकृति (जुलाई 2006) दी गयी। नींव डालने का कार्य, जो जुलाई 2006 तक पूरा किया जाना था, वास्तव में अगस्त 2009 में पूरा हो पाया। तत्पश्चात् कार्य को विभागीय रूप से निष्पादित किया गया जिस पर मार्च 2012 तक ₹ 3.55 करोड़ खर्च हो चुके थे।

अतः समुचित योजना के अभाव तथा नींव की रचना में बदलाव से पुनर्निर्माण के कार्य में भारी व्यय तथा कार्य समाप्ति में विलंब हुआ।

ढहाने से पहले

ढहाने के पश्चात

पुनर्निर्माण के दौरान

8. बैसग़ाजी दीवार, मालदा, कोलकाता परिमंडल

संरक्षण कार्य से पहले दीवार पर नियमित अंतराल पर कोटरिकाएँ थीं। परन्तु भा.पु.स. ने दीवार के उत्तरी हिस्से का जीर्णोद्धार करते समय भीतरी दीवार पर कोई कोटरिका नहीं छोड़ी। परन्तु दीवार के पश्चिमी हिस्से का जीर्णोद्धार करते समय कोटरिकाएँ बना दी गई। अतः संरक्षण कार्य से स्मारक का मूल रूप परिवर्तित हो गया।

दीवार में मूल कोटरिका

फिर से बनाई गई दीवार में कोई कोटरिका नहीं

फिर से बनाई गई दीवार में कुछ हिस्से में कोटरिका

9. जोर बंगला, बिश्नूपुर, कोलकाता परिमण्डल

पूरी चारदीवारी सजावटी ईंटों से बनाई गयी थी जबकि चकती लगाने का काम प्रत्यक्ष रूप से साधारण ईंटों से पूरा किया गया जिससे स्मारक की दिखावट बिगड़ गई।

जोर बंगला, बिश्नूपुर कोलकाता में किया गया चकती का कार्य

10. पीली मस्जिद, मुर्शिदाबाद, कोलकाता परिमंडल

पीली मस्जिद का नाम इसके रंग के कारण पड़ा था; परन्तु भा.पु.स. द्वारा अनुपयुक्त संरक्षण किये जाने से इसका मूल स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया। हमने पाया कि अब मस्जिद को सफेद रंग दिया गया था।

पुराने दृश्य

वर्तमान दृश्य

11. राजा सुचेत सिंह का प्राचीन महल, श्रीनगर परिमंडल

रामनगर में राजा सुचेत सिंह के प्राचीन महल के दाहिनी ओर के मेहराबदार बरामदे को एक बैठक में तबदील कर दिया गया था जिसके साथ स्नानगृह तथा रसोई बनाई गई थी तथा एक हिस्से को कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था।

12. अमरावती का महास्तूप, हैदराबाद परिमंडल

अमरावती में महास्तूप अथवा "महाचैत्य" भारत के विशालतम बौद्धिक स्तूपों में गिना जाता था। खुदाई के दौरान चार आधारभूतों में प्रलंबित आयताकार चबूतरों सहित सहित ईंट निर्मित गोलाकार वेदिका अथवा ड्रम निकाला गया। हमने देखा कि भा.पु.स. ने (2006) एक वर्तमान वेदिका पर ही एक अतिरिक्त गोलाकार वेदिका अथवा ड्रम निर्मित कर दिया। इससे खुदाई के उपरांत निकले स्थल की मूल पहचान परिवर्तित हो गई।

गोलाकार वेदिका बिना महास्तूप का दृश्य

अतिरिक्त गोलाकार वेदिका सहित महास्तूप का सामान्य दृश्य

13. सेंट एंजेलो किला त्रिशूर परिमंडल

2000-01 में किये गए संरक्षण कार्य के दौरान घोड़ों के अस्तबल की मूलतः मखराली मिट्टी की बनी हुई तिकोनी छत को सीमेंट कंक्रीट की बेलनाकार आकृत्ति की छत में बदल दिया गया। परम्परागत वायु छिद्रों को बदल दिया गया तथा उनकी मूल आकृत्ति तथा दिखावट को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा स्मारकों पर सीमेंट कंक्रीट के प्रयोग पर निषेद्ध के बावजूद किया गया।

14. त्रिपोलिया गेट, दिल्ली परिमण्डल

त्रिपोलिया गेट के विशेष मरम्मत कार्य के लिए कार्य आदेश मेसर्स ए.आई.सी. बिल्डिंग साल्यूशन लिमिटेड को ₹ 21.97 लाख की लागत पर जुलाई 2010 में दिया गया जिसकी कार्यसमाप्ति की तिथि 8 नवम्बर 2010 रखी गई।

4 नवम्बर 2011 को एक स्थल निरीक्षण के दौरान उप-अधीक्षण पुरातत्व अभियंता ने देखा कि ठेकेदार द्वारा किया गया प्लास्टर कार्य मूल प्लास्टर से मेल नहीं खा रहा था क्योंकि द्वार की महराबों के उपर मूल प्लास्टर में पुष्पाकृतियों के अतिरिक्त अनेक ब्लॉक, ढलवाँ तथा अलंकृत डिजाइन बने थे। ठेकेदार ने सजावटी डिजाइन के स्थान पर सादा प्लास्टर कर दिया जिससे संरक्षण तथा जीर्णोद्धार का मूल उद्देश्य हासिल नहीं हो सका। इसके बावजूद, भा.पु.स. ने ₹ 8.17 लाख का भुगतान किया। परिमंडल ने ठेकेदार को सूचित किया कि उसके द्वारा निष्पादित कार्य ने स्मारक के मूल स्वरूप को ही परिवर्तित कर उसकी सजावट को बिगाड़ दिया जिसे इस पड़ाव पर ठीक कर पाना कठिन होगा। मंडल ने, ठेकेदार को कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार कार्य समाप्त करने को कहा जिसके उपरांत उपअधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा कार्य का सत्यापन किया जाना था। इस कार्य को अब तक ठीक नहीं किया जा सका था। अतः मंडल द्वारा निगरानी के अभाव से ठेकेदार द्वारा अनुपयुक्त संरक्षण कार्य किया गया। कार्य 32 महीनों के विलंब के पश्चात भी पूरा नहीं किया जा सका था।

संरक्षण से पहले त्रिपोलिया गेट

संरक्षण के पश्चात त्रिपोलिया गेट (लुप्त डिजाइन)

4.5 बाह्य संस्थाओं द्वारा परिरक्षण तथा संरक्षण कार्य

संरक्षण एक विशिष्ट तकनीकी कार्य है। दिल्ली परिमंडल के अतिरिक्त भा.पु.स. के सभी अन्य परिमंडल संरक्षण तथा परिरक्षण कार्य विभागीय रूप से ही कराते थे। भा.पु.स. कार्य संहिता अथवा भा.पु.स. मैनुअल में से किसी में भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में संरक्षण कार्य बाह्य संस्थाओं के माध्यम से कराने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया। कार्य संहिता तथापि संरक्षण कार्य हेतु बाह्य संस्थाओं से संरक्षण कार्य हेतु वित्तीय पोषण प्राप्त करने की अनुमति देता था। परन्तु हाल के वर्षों में बाह्य संस्थाओं जैसे इंटैक, आगाखान ट्रस्ट, इत्यादि को संरक्षण तथा परिरक्षण कार्यों हेतु स्मारक दे दिये गये थे। दिल्ली परिमंडल अपने सभी कार्य बाह्य संस्थाओं द्वारा करा रहा था।

4.5.1 बाह्य संस्थाओं की निगरानी

भा.पु.स. के पास संरक्षण कार्य कराये जाने के लिए बाह्य संस्थाओं के चयन हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे। भा.पु.स. द्वारा योग्यता तथा संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव के संबंध में कोई निर्धारित मापदण्ड तय नहीं किये गये थे। किसी निर्धारित मापदण्डों के अभाव में संस्था का चयन मामले दर मामले के आधार पर किया जा रहा था। बाह्य संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों की निगरानी की कमी के संबंध में निम्न उदाहरण देखे गये;

(i) भा.पु.स. ने दिल्ली परिमंडल में हमायुँ के मकबरे के उद्यान के नवीकरण के अतिरिक्त संरक्षण, शोध अभिलेखीकरण, जल व्यस्थाओं की बहाली तथा रोशनी हेतु रा.सां.नि. के द्वारा आगा खान ट्रस्ट के साथ अप्रैल 1999 में एक अनुबंध किया। आगा खान संस्कृति ट्रस्ट ने भा.पु.स. के साथ हमायुँ मकबरे के परिसर के भीतर के संरक्षित स्मारकों के

संरक्षण हेतु जुलाई 2007 में एक और अनुबंध किया। आगा खान संस्कृति ट्रस्ट को भा.पु.स. पर कोई वित्तीय प्रतिबध्यता लाये बिना निधियों का प्रबंध घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ताओं द्वारा करना था। हमायुँ मकबरे के उपमंडलीय प्रभारी ने सूचित किया (जनवरी 2013) कि वे अनुबंध के निबंधन और शर्तों अथवा आ.ख.सं.न्या. द्वारा किये जा रहे कार्य की समय सारणी से अवगत नहीं थे तथा, इस प्रकार, उनकी निगरानी की कोई भूमिका नहीं थी। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार भा.पु.स. ने अनुबंध के अनुसार अपना उत्तरदायित्व त्याग दिया है।

(ii) लोधी गार्डन परिसर में पाँच स्मारकों का संरक्षण कार्य भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इंटैक) ने 2006 में किया। यह कार्य इंटैक को इसलिए दिया गया क्योंकि भा.पु.स. स्वयं को राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित कार्यों को लेकर आधिभारित पा रहा था। इंटैक के साथ न कोई औपचारिक अनुबंध किया गया और न ही संस्था को कोई कार्य आदेश जारी किया। दिल्ली मंडल को कार्य संचालित करना था। तथापि, अक्तूबर 2009 में जाकर पता चल पाया कि इंटैक ने दोषपूर्ण तथा तुच्छ स्तर का संरक्षण कार्य किया था। महानिदेशक भा.पु.स. द्वारा जुलाई 2011 में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने कार्य की समीक्षा की तथा कार्य को खराब गुणवत्ता का तथा अस्वीकार्य पाया। समिति ने खराब कारीगरी, निम्नस्तरीय सामग्री, खराब निगरानी तथा कार्य के प्रबंधन की कमजोरी का वर्णन किया। समिति ने संदेह व्यक्त किया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र में वर्णित 'सपाट छत की मरम्मत' का कार्य किया भी गया था या नहीं। नवम्बर 2012 तक न ही इंटैक ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही की थी और न ही भा.पु.स. ने संस्था पर प्रतिबंध लगाने या जुर्माना लगाने की कोई कार्यवाही की।

(iii) हमने यह भी पाया कि भा.पु.स. ने 'उग्रसेन की बावली' जो दिल्ली परिमंडल का एक केन्द्रीय संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, के रख-रखाव हेतु नवम्बर 2009 में वैश्विक वैश्य संगठन के साथ एक अनुबंध किया।

मामला अध्ययन 4: उग्रसेन की बावली

भा.पु.स. ने 2009 में उग्रसेन की बावली, दिल्ली के रखरखाव के लिए वैश्विक वैश संगठन (वै.वै.सं.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कानूनी पुनरीक्षण नहीं किया गया था। हमने पाया कि समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव मूलतः दिल्ली प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन (दि.प्रा.अ.स.) की ओर से आया था पर समझौता ज्ञापन अंततः वैश्विक वैश संगठन के साथ किया गया था। इस परिवर्तन के संदर्भ में कोई कारण दर्ज नहीं पाए गए।

आरंभिक प्रस्ताव राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.) योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, तथापि, समझौता ज्ञापन करते समय राष्ट्रीय संस्कृति निधि को एक पक्ष नहीं बनाया गया था। किसी भी स्तर पर मंत्रालय से कोई अनुमति नहीं माँगी गई थी।

वैश्विक वैश संगठन द्वारा स्मारक का गैर रख-रखाव

समझौता ज्ञापन के अनुसार, कार्यक्षेत्र निर्धारित करने, लक्ष्य तिथि तथा समय सारणी तय करने, इत्यादि के लिए परियोजना कार्यान्वयन समिति गठित की जानी थी। परियोजना कार्यान्वयन समिति 2012 तक गठित नहीं की गई थी।

वैश्विक वैश संगठन द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारकों के लिए दिये गये सहयोग का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था, जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिभाषित है।।

वैश्विक वैश संगठन द्वारा पुस्तकें, पत्रिकाएँ, पर्चे, विवरणिकाएँ इत्यादि छपवानी तथा वितरित की जानी थीं फिर भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। वैश्विक वैश संगठन किसी बैठक, पूजा अथवा धार्मिक गतिविधियों के लिए स्मारक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। हमने ऐसे मामले देखे जिनमें स्मारक में बैठकें की गई थीं परंतु भा.पु.स. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। वैश्विक वैश संगठन के निष्पादन का आकलन किए बिना जनवरी 2011 में समझौता ज्ञापन का पाँच वर्षों के लिए नवीकरण कर दिया गया था।

चौकीदार द्वारा स्मारक का निवास के रूप में उपयोग

वै.वै.सं. द्वारा बनावाया गया पोर्टा केबिन

संयुक्त प्रत्यक्ष/भौतिक स्थल निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वैश्विक वैश संगठन ने परिसर में एक पोर्टा केबिन में कार्यालय खोला हुआ था जिसमें साहित्य, लेखन-सामग्री, कम्प्यूटर आदि जमा किये गये थे। चौकीदार स्थाई रूप से स्मारक में रह रहा था। स्मारक बुरी हालत में था तथा बावली में अब पानी भी नहीं था।

अतः भा.पु.स. ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण तथा संरक्षण हेतु लगाई गई बाह्य अभिकरणों को नियुक्त करने, नियंत्रित करने अथवा उनके कार्य की मॉनीटरिंग करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थीं।

4.5.2 बाह्य संस्थाओं द्वारा अनधिकृत संरक्षण कार्य

हमने ऐसे कई मामले पाये जहाँ स्मारकों अथवा उनके हिस्से पर भा.पु.स. के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं ने भा.पु.स. की अनुमति बिना संरक्षण कार्य किया। इनमें से कुछ मामले नीचे दिये गए हैं -

तालिका 4.2 अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये संरक्षण कार्य

क्र.स.	स्मारक का नाम	कार्य का ब्यौरा	कार्य निष्पादन संगठन	किया गया व्यय	अभ्युक्तियां
1.	महाराजा रणजीत सिंह का ग्रीष्म महल, अमृतसर	जीर्णोद्धार कार्य	पंजाब विरासत तथा पर्यटन संवर्धन बोर्ड	₹ 2.17 करोड़	भा.पु.स. द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई
2.	किरात सागर तथा विजय सागर की झीलें तथा बरूआ सागर की टंकी, झाँसी	संरक्षण कार्य	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार	--	राज्य सरकार की संस्थाओं ने अनधिकृत रूप से एक पिकनिक स्थल विकसित किया तथा पानी को सिंचाई तथा पेयजल के उद्देश्य से प्रयोग किया।
3.	अमीनुद्दौला, लखनऊ मंडल जामा मस्जिद, इमामबाड़ा	काष्ठ एवं काँच का कार्य, विद्युतीकरण तथा लकड़ी का चौखट कार्य	हुसैनाबाद न्यास, उत्तर प्रदेश	--	स्मारकों को आधुनिक रूप देने के लिए कार्य किये गये

उपरोक्त सभी मामलों में भा.पु.स. ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अन्य संस्थाओं द्वारा की गई अनधिकृत गतिविधियों का कोई संज्ञान नहीं लिया।

4.6 ठेकेदारों का पंजीकरण

भा.पु.स. मैनुअल के अनुच्छेद 3 के अनुसार ठेकेदारों का भा.पु.स. में पंजीकरण परिमंडल/ शाखा कार्यालय में किया जाएगा यदि वे उस परिमंडल/शाखा के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने में इच्छुक हैं। यदि कोई ठेकेदार/फर्म एक से अधिक परिमंडल अथवा शाखाओं में कार्य करने का इच्छुक है तो उनके नाम महानिदेशक, भा.पु.स. के पास पंजीकृत होने चाहिए। पंजीकृत ठेकेदारों के ब्यौरे का एक अर्धवार्षिक विवरण महानिदेशक, भा.पु.स. को प्रस्तुत किया जाना था।

भा.पु.स. मुख्यालय ने सूचित किया कि वे किसी भी ठेकेदार का पंजीकरण नहीं कर रहे थे जबकि ऐसे ठेकेदार थे जो एक से अधिक परिमण्डलीय कार्यालय के लिए कार्य कर रहे थे।

भा.पु.स. अपने 24 परिमंडलों में से किसी से भी भा.पु.स. मैनुअल में निर्धारित मंडलों में पंजीकृत ठेकेदारों के अर्ध वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं कर रहा था।

दिल्ली परिमंडल में ठेकेदारों का पंजीकरण उनकी साख की पुष्टि किए बिना किया जा रहा था।

4.6.1 ठेकेदारों से श्रमिक उपकर की गैर वसूली

दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्तें) नियम, 2002 के अनुसार निर्माण कार्य की लागत के एक प्रतिशत की दर पर उपकर वसूल किया जाना है तथा वसूली पर व्यय को काटकर दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना है। दिल्ली परिमंडल ने ठेकेदारों द्वारा संरक्षण तथा रख-रखाव कार्य कराया परन्तु उपकर न वसूल किया और न ही बोर्ड को जमा कराया। 2007-12 के दौरान प्राचीन स्मारकों के संरक्षण पर कुल व्यय ₹ 64.64 करोड़ था। उपश्रम आयुक्त, श्रम विभाग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से आये पत्र के उत्तर में दिल्ली परिमंडल ने कहा (नवम्बर 2012) कि वे श्रमिक कल्याण उपकर की कटौती के प्रावधान से अवगत नहीं थे। चूंकि सारे कार्य समाप्त किए जा चुके हैं, उपकर वसूल कर पाना कठिन होगा।

4.7 राष्ट्रीय संस्कृति निधि से कराये गये संरक्षण कार्य

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का एक प्रमुख उद्देश्य अपनी निधियों का प्रबंध तथा संरक्षित अथवा अन्यथा स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव, संवर्धन, सुरक्षा, परिरक्षण तथा कोटिउन्नयन हेतु सदुपयोग करना है।

भा.पु.स. ने 2000 तथा 2007 में क्रमशः 36 तथा 100 चुनिंदा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की दो सूचियां रा.सं.नि. को भेजी जिनके लिए रा.स.नि. द्वारा दानकर्ताओं से वित्तीय पोषण का आग्रह किया गया। **रा.सं.नि. को भा.पु.स. द्वारा भेजी गयी सूची में से ही स्मारकों का चयन करना था।** हमने पाया कि इन चयनित स्मारकों में कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी। हमने यह भी देखा कि दानकर्ता परियोजनाओं हेतु रा.सं.नि. द्वारा दोनों सूचियों में शामिल स्मारकों से अलग स्मारक भी चुने गये उदाहरणतः जंतर मंतर, दिल्ली तथा ताजमहल, आगरा। भा.पु.स. द्वारा दी गई सूचियों के बाहर स्मारकों का चयन करने के कोई अभिलिखित कारण नहीं थे।

यह भी देखा गया कि रा.सं.नि. कुछ अतिमहत्वपूर्ण स्मारकों जैसे लाल किला, दिल्ली, आगरे का किला, सफदरजंग मकबरा, रणथंभोर किला, इत्यादि के लिए दानकर्ता जुटाने में विफल रहा। रा.सं.नि. द्वारा इन स्मारकों के संरक्षण हेतु संभावित दानकर्ता ढूंढने के लिए सार्वजनिक तथा निजी संगठनों के बीच इन स्मारकों को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाये गये। भावी दानकताओं के साथ हुई बैठकें अभिलेखित नहीं की गई तथा सभी सूचीबद्ध स्मारकों (भा.पु.स. द्वारा बताए गये) को एक निर्धारित समयावधि में संरक्षित किये जाने हेतु कोई व्यवस्थित योजनाएं नहीं थीं।

1999 से रा.सं.नि. ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ 19 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये। हमने पाया कि इन अनुबंधों के सहमति पत्र सही तरह से तैयार नहीं किये गये थे तथा ऐसे मामले देखे गये जहां परियोजना की समाप्ति की समय सीमाएं तक दर्शाई नहीं गई थी। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इन अनुबंध पत्रों की कानूनी पुनरीक्षण नहीं किया गया।

मंत्रालय ने (मई 2013) सूचित किया कि अनुबंध के सहमति पत्रों के नमूने तैयार कर विधि मंत्रालय के विमर्श से उनकों अंतिम रूप दिया जा रहा था।

प्रत्येक परियोजना पर मदवार व्यय के पूरे विवरण रा.सं.नि. में नहीं रखे जा रहे थे। इस सूचना के अभाव में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि किसी परियोजना पर किया जा रहा व्यय उस उद्देश्य हेतु किया गया जिसके लिए अनुबंध किया गया था अथवा वह केवल प्रशासनिक खर्चों/परामर्श सेवाओं पर था। दानकर्ताओं तक को यह आश्वासन दिये जाने के संबंध में कोई अभिलेखीकरण नहीं था।

मंत्रालय ने (मई 2013) सूचित किया कि प्रगति की निगरानी रखने के लिए कार्य क्षेत्र का विवरण बजट तथा समय सीमा को अनुबंध में शामिल किया जा रहा है।

हमने पाया कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए शुरू की गई 19 परियोजनाओं में से रा.सं.नि. के पास निधियों की उपलब्धता के बावजूद नवम्बर 2012 तक केवल दो पूरी की गई थी। परियोजनाओं के विवरण हमारी टिप्पणियों सहित **अनुबंध 4.1** पर रखे गए हैं।

अनुशंसा: 4.5: प्रभावशाली बनने के लिए भा.पु.स. को रा.सं.नि. द्वारा वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का प्राथमिकीकरण करना चाहिए। इसके लिए निधियों का एक व्यापक आंकलन पहले से किये जाने की आवश्यकता है।

4.8 सजीव स्मारकों के रखरखाव में भा.पु.स. की भूमिका

जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल के अनुच्छेद 26 के अनुसार सजीव स्मारक वे हैं जो अधिसूचना के समय प्रयोग में थे। इनमें मंदिर, मस्जिद इत्यादि शामिल थे। प्रा.स.पु.स.अ. अधिनियम 1958 की धारा 6 के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्मारक के स्वामी के साथ इसके रख-रखाव का अभिरक्षा हेतु एक अनुबंध कर सकती है तथा स्वामी को स्मारक को ध्वस्त करने, हटाने, परिवर्तित करने अथवा विकृत करने या स्मारक पर या उसके समीप कोई निर्माण करने से रोक सकती है। परन्तु हमने पाया कि भा.पु.स. ऐसे सभी स्मारकों के स्वामियों के साथ औपचारिक अनुबंध करने में विफल रहा।

चूँकि स्मारक का वास्तविक अधिकार स्वामियों के पास था, उन्होंने स्मारक के ऐतिहासिक तथा कलात्मक मूल्य का हमेशा विचार किये बिना उसकी मरम्मत तथा रखरखाव अपनी समझ तथा आवश्यकता के अनुसार किये। कई मामलों में इससे स्मारक का सौंदर्यात्मक मूल्य एवं मूल

स्वरूप नष्ट हो गये। भा.पु.स. ऐसे स्मारकों पर पूर्ण प्राधिकार लागू नहीं कर पाया तथा इन गतिविधियों को रोकने में विफल रहा। कई सजीव धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, गोम्पा तथा मस्जिदों में प्रबंधन ने भा.पु.स. के अनुमोदन के बगैर ही परिवर्तन कर दिये थे। भा.पु.स. के पास अपनी ओर से यह ध्यान में रखते हुए कि यह सजीव भवन थे जिनमें विस्तार आदि की विकासशील आवश्यकताएं होती हैं, अनुमति योग्य बदलावों पर कोई दिशानिर्देश नहीं थे। वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के विस्तार/परिवर्तन निषिद्ध थे जो व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किये जा सकते थे।

ऐसे उदाहरण देखे गये जहाँ इन स्मारकों का प्रबंधन न्यासों/व्यक्तियों के पास था जिन्होंने आधुनिक इनैमल पेंट से दीवारें रंगने, चीनी मिट्टी की टाईलें तथा विद्युत उपकरण लगाने आदि कार्य किये जिनसे स्मारक का सौंदर्यात्मक गुण परिवर्तित हो गया। कुछ उदाहरणों में दिल्ली परिमंडल में कुतुब मीनार में मस्जिद, पालम में प्राचीन मस्जिद, लेह लघु मंडल में शे मठ, हैमिस मठ, लखनऊ परिमंडल में बड़ा ईमामबाड़ा तथा छोटा ईमामबाड़ा तथा गोवा परिमंडल में चर्च शामिल थे।

अनुशंसा 4.6: *सजीव स्मारकों के प्रबंधन पर विस्तृत दिशार्निदेश होने चाहिए।*

अनुशंसा 4.7: *निर्जीव स्मारकों पर अभिलेखीकरण उचित प्रकार से रखा जाना चाहिए ताकि अनधिकृत कब्जे तथा प्रयोग को रोका जा सके।*

मंत्रालय ने (मई 2013) अनुशंसा स्वीकार करते हुए सूचित किया कि इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश मसौदा संरक्षण नीति में सम्मिलित किये जा रहे हैं।

4.9 पर्यावरणीय संरक्षण

ऐतिहासिक उद्यान की वास्तु रचना में निम्न शामिल थेः

- इसकी योजना तथा स्थलाकृति
- इसकी वनस्पति जिसमें उसकी प्रजाति, अनुपात, रंग पद्धति, अंतराल तथा तत्संबंधी ऊंचाईयां शामिल हैं।
- इसकी संरचनात्मक तथा अलंकरण विशिष्टताए
- आकाश को प्रतिबिंबित करता इसका पानी, बहता अथवा रूका हुआ

ऐतिहासिक उद्यानों का निरंतर रख-रखाव नितांत आवश्यक है। अपरिवर्तित परिस्थिति में उद्यान के परिरक्षण के लिए तत्कालिक प्रतिस्थापन तथा नियमित नवीकरण का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम (कटाई द्वारा सफाई तथा व्यस्क प्रतिरूपों द्वारा आरोपण) दोनों आवश्यक हैं।[34]

[34] फ्लोरेंस चार्टर 1981

भा.पु.स. के मैनुअल के अनुसार स्वाधीनता तक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में बागवानी कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देखे जा रहे थे। 1952-53 में पूर्ण रूप से पुरातत्व सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने के लिये एक पृथक उद्यान शाखा की स्थापना की गयी। भा.पु.स. में बागवानी कार्यो में स्थाकृतिक क्षेत्र, परिदृश्य, ऐतिहासिक पार्क तथा उद्यान, नए उद्यान लगाना, मौजूदा उद्यानों का रखरखाव तथा जीर्णोधार, जो पुरातत्व, ऐतिहासिक अथवा सौंदर्यात्मक मूल्य रखते हैं, शामिल हैं। इसमें मशीनरी, उपकरण, पशुधन तथा ऐसे कार्य निष्पादित करने के लिए आवश्यक अन्य सहायक वस्तुओं की आपूर्ति, मरम्मत, अभिग्रहण तथा ढुलाई शामिल थे।

भा.पु.स. की बागवानी शाखा के मुख्य कार्य उद्यानों की रूपरेखा बनाना, बिछाना अथवा नवीकरण तथा रखरखाव करना तथा विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों की घेराबंदी के अतिरिक्त प्रभावशाली प्रवेश तथा निकासी उपलब्ध कराना इत्यादि थे।

भा.पु.स. का बागवानी निदेशालय आगरा में था तथा चार बागवानी प्रभाग थे जिनके अधिकारक्षेत्र में विभिन्न राज्य आते थे तथा जिनमें से प्रत्येक बड़ी संख्या में उद्यानों का रख-रखाव देखता था। विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 4.3 बागवानी शाखा के प्रभागों का ब्यौरा

प्रभाग	प्रभाग की स्थिति	उद्यानों की कुल संख्या	प्रभाग द्वारा देखे जा रहे राज्य
I.	आगरा	81	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा महाराष्ट्र
II.	दिल्ली	186	दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दमन एवं दीव तथा जम्मू कश्मीर
III.	मैसूर	126	आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु
IV.	भुवनेश्वर	132	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आसम, सिक्किम, त्रिपुरा तथा मणिपुर।

हमने देखा कि उपलब्ध श्रमशक्ति के साथ बागवानी प्रभागों द्वारा उद्यानों का रख-रखाव तथा इन उद्यानों में किए गए कार्यो का निरीक्षण कर पाना बहुत कठिन था क्योंकि सम्मिलित क्षेत्र व्यापक था। आगरा प्रभाग के प्रमुख प्रधान उद्यान विशेषज्ञ थे जो अधीक्षण पुरातत्वविद की रैंक के थे परन्तु अन्य तीन प्रभागों की अध्यक्षता उपाधीक्षण उद्यान विशेषज्ञ कर रहे थे। अतः प्रत्येक उपाधीक्षक उद्यान विशेषज्ञ आठ राज्यों तक विस्तृत उद्यानों के लिये उत्तरदायी थे। एक अकेले अधिकारी के लिये इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत उद्यानों की निगरानी कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव था।

हमारे द्वारा देखी गई एक अन्य असंगति हैदराबाद के उद्यान प्रमुख की थी जिन्हें लगभग 592 कि.मी. दूर स्थित विशाखापट्टनम में संकरम के बौद्ध भग्नावशेषों का प्रभारी बनाया गया था। इसी प्रकार प्रभाग-II के उपाधीक्षण उद्यान विशेषज्ञ जम्मू तथा कश्मीर से लेकर दमन एवं दीव के सभी उद्यानों के लिए उत्तरदायी थे। परिणामतः, अधिकांश उद्यानों में निगरानी अप्रभावशाली थी। उद्यानों का या तो रखरखाव नहीं किया जा रहा था अथवा उन्हें बिना पर्यवेक्षण के मालियों/श्रमिकों के सहारे छोड़ दिया गया था।

4.9.1 विरासत उद्यानों का रख-रखाव

कुछ संरक्षित स्मारकों की मौलिक रूपरेखा के अनुसार, उद्यान उनका एक अभिन्न अंग थे। इन स्मारकों के अभिन्न अंग के तौर पर, इन विरासत उद्यानों से हमें स्मारकों की उचित संदर्भ में विवेचना करने एवं उन्हें समझने में सहायता मिलती है। बागवानी शाखा, संबंधित स्मारक की पद्धति, आयु तथा स्वभाव के अनुरूप विरासत उद्यान का रखरखाव करने की उत्तरदायी थी तथा उसे स्थल का मूल स्वरूप बनाने रखने के लिए काल विशेष पेड़ पौधों का प्रयोग करना अपेक्षित था।

हमने पाया कि मूल रूपरेखा के अनुरूप उद्यानों वाले स्मारकों की जानकारी प्राप्त करने हेतु मंडलीय कार्यालय, प्रभागों से परामर्श नहीं लेते थे। परिणामस्वरूप प्रभाग, संरक्षित स्मारकों के आसपास के उद्यानों एवं विरासत उद्यानों को पृथक कर पाने में विफल रहे।

बागवानी शाखा के पास ऐतिहासिक उद्यानों की वास्तविक संरचना, वनस्पति तथा प्राणीसमूह तथा अन्य अलंकारिक विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मुगल स्मारकों के आसपास कई ऐसे उद्यान थे जिनका नक्शा तथा अन्य विशिष्टताएं भली-भांति अभिलेखित थे। परन्तु हमने ऐसे किसी भी उद्यान का रखरखाव उसकी मूल रूपरेखा के अनुरूप होते नहीं देखा।

कई स्मारकों में भा.पु.स. फव्वारों तथा नहर-ए-बहिश्त (पानी की नालियों) में जल संचार भी सुनिश्चित करने में अक्षम था जो मुगलिया उद्यानों की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता थे। इनमें ताजमहल, आगरा, लाल किला, दिल्ली तथा इतमाद्दुला, आगरा इत्यादि शामिल थे।

हमने उचित शोध द्वारा विरासत उद्यानों को अभिलेखित करने या विकसित करने के भा.पु.स. के प्रयासों का कोई साक्ष्य नहीं पाया।

हुमायुं का मकबरा, दिल्ली में बंद पानी की नालियां

4.9.2 उद्यानों का गैर-रखरखाव

उद्यानों को दैनिक आधार पर रख-रखाव की आवश्यकता होती है। इसमें पौधों तथा घास को पानी देना, पौधों की छटाई तथा सफाई शामिल होते हैं। बागवानी शाखा ने लघु शीर्ष गैर योजना के अंतर्गत उद्यानों का वार्षिक रख-रखाव तथा देख-रेख किया। प्रभाग-II द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, दिल्ली में 174 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (जिनमें महानिदेशक भा.पु.स., रा.स.प्रा., रा.स.मु.मि. तथा बाल संग्रहालय इत्यादि के कार्यालयों में स्थित उद्यान शामिल थे) के प्रति 50 उद्यान थे। तथापि पिछले पाँच वर्षो के दौरान वार्षिक रखरखाव के लिए चुने गए उद्यानों की संख्या 25 से 37 के बीच थी।

स्पष्ट है कि बागवानी प्रभाग वर्तमान उद्यानों का भी रखरखाव करने में विफल रहे।

इसके विपरीत, हमने देखा कि शाखा ऐसे उद्यानों का रखरखाव कर रही थी जो उनके अधिकारक्षेत्र से संबंधित नहीं थे। उदाहरण के तौर पर प्रभाग-III, कमलापुर, हंपी में चन्द्रशेखर उद्यान नामक एक उद्यान का रख-रखाव कर रहा था जहाँ एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक तक नहीं था।

बिना स्मारक के चन्द्रशेखर उद्यान - कमलापुर, हंसी

संरक्षित स्मारकों में तथा उनके आस पास के उद्यानों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि उद्यानों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं हो रहा था। दिल्ली परिमंडल के कुछ उद्यानों की स्थिति निम्न चित्रों में दर्शायी गई है:

अंधाधुध खुदाई; सफदरजंग मकबरे में उद्यान

हमायुं के मकबरे में उद्यान में पड़ा मलबा

पुराना किले में गंदा पड़ा उद्यान

लाल किला दिल्ली में गंदा पड़ा उद्यान

यहाँ तक कि विश्व विरासत स्थलों उदाहरणतः दिल्ली परिमंडल के लाल किला तथा हुमायुँ के मकबरे में स्थित उद्यानों का भी रख-रखाव बागवानी शाखा द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा था। शाखा ने खराब रख-रखाव के पीछे मानवीय तथा वित्तीय संसाधनों की कमी को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि निदेशक (बागवानी) ने महानिदेशक भा.पु.स. को शाखा की कर्मचारी संख्या बढ़ाने का कई बार आग्रह किया परन्तु भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किये गये।

अनुशंसा 4.8: *भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा बागवानी शाखा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बजट एवं श्रमशक्ति की पूर्ति करनी चाहिए।*

4.10 रासायनिक संरक्षण तथा विज्ञान शाखा की कार्यपद्धति

भा.पु.स. की विज्ञान शाखा 1917 में स्थापित की गई थी जिसका प्रमुख कार्य संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं तथा पुरावस्तुओं का रासायनिक उपचार तथा परिरक्षण है। स्मारकों का रासायनिक संरक्षण द्वारा परिरक्षण विज्ञान शाखा का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप बन चुका था। विज्ञान शाखा की अध्यक्षता देहरादून, उत्तराखण्ड स्थित निदेशक (विज्ञान) कर रहे थे। शाखा के तीन प्रभागीय कार्यालय भुवनेश्वर, हैदराबाद तथा इंदौर में स्थित थे तथा, देहरादून, आगरा और अजंता में प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, देशभर में फैले 11 आंचलिक कार्यालय थे।

4.10.1 रासायनिक उपचार के मापदण्ड

इसी प्रकार रासायनिक उपचार हेतु स्मारकों के चयन के मुख्य मापदण्ड निम्न पर आधारित थेः

- स्मारकों के निरीक्षण के दौरान क्रियान्वयन स्टाफ तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई अभ्युक्तियाँ

- स्मारक जिनका 5-6 वर्षो से अधिक से रासायनिक उपचार नहीं किया गया।
- अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमणों से प्राप्त संदर्भ

हमने पाया कि रासायनिक उपचार की आवश्यकता का आकलन करने के लिये स्मारकों के नियमित भौतिक निरीक्षण हेतु कोई व्यवस्था नहीं बनाई गयी थी। रासायनिक उपचार हेतु स्मारकों के चयन हेतु किसी भी विशिष्ट दिशानिर्देश तथा मापदण्डों के अभाव में कई स्मारक, जिन्हें रासायनिक उपचार की आवश्यकता थी, चुने नहीं जा सके। 2009-10 के लिये व्यय विवरण से पता चला कि केवल 149 स्मारक ही चुने गये जो कुल संरक्षित स्मारकों का मात्र चार प्रतिशत था। उपचार हेतु स्मारकों के चयन का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया था। अतः रासायनिक सफाई हेतु स्मारकों का चयन बिना किसी वस्तुनिष्ठ आंकलन, प्राथमिकीकरण तथा अभिलेखन के किया जा रहा था।।

धारवाड़ परिमंडल में 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान रासायनिक उपचार किये जाने के यद्यपि 19 प्रस्ताव अनुमोदित किये, 31 मार्च 2012 तक केवल चार कार्य ही आरंभ किये जा सके थे। बाकी को छोड़ने के कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।

4.10.2 कार्य तथा व्यय की निगरानी

भा.पु.स. के मैनुअल के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार विज्ञान प्रादेशिक आंचलिक तथा क्षेत्र प्रयोगशालाओं के क्रिया कलाप तथा रासायनिक परिरक्षण कार्यो के निष्पादन हेतु निदेशक (विज्ञान), महानिदेशक, भा.पु.स. के अनुमोदन से, नीति तय करता है। रासायनिक शाखा के प्रशासनिक प्रमुख के नाते वित्तीय अनुदान का प्रबंधन करने तथा इस उद्देश्यपूर्ति के साथ व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखना उसका उत्तरदायित्व था।

हमने पाया कि कार्य वार ब्यौरे, जिसमें भौतिक तथा वित्तीय प्रगति शामिल थे, न आंचलिक/प्रभागीय कार्यालय और न ही निदेशक (विज्ञान) कार्यालय द्वारा रखे जा रहे थे और न ही उनकी निगरानी की जा रही थी।

4.10.3 संरचनात्मक संरक्षण के साथ समन्वय

स्मारकों के पुर्नरूद्धार में संरचनात्मक संरक्षण को रासायनिक संरक्षण से पहले होना चाहिए। तथापि हमने ऐसे मामले पाये जहाँ संरचनात्मक संरक्षण रासायनिक उपचार के पश्चात किया गया था। इसने रासायनिक उपचार की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। उदाहरणतः दिल्ली परिमंडल में लाल किले के सावन मंडप का रासायनिक उपचार आंचलिक कार्यालय द्वारा 2010-11 में ₹ 3.98 लाख के व्यय सहित किया गया था जबकि मंडल कार्यालय द्वारा सावन मंडप का संरचनात्मक संरक्षण 2011-12 में ₹ 21.63 लाख की लागत पर किया गया।

अनुशंसा 4.9: *भा.पु.स. को किसी स्मारक पर कोई संरक्षण कार्य करने से पूर्व इन तीनों शाखाओं के मध्य एक समुचित समन्वय रखने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) में अनुशंसा स्वीकार करने के साथ सूचित किया कि मसौदा संरक्षण नीति में आवश्यक दिशानिर्देश प्रस्तावित किये गये हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं।

4.10.4 प्रयोगशालाओं का क्रियाकलाप

नवम्बर 2006 में आगरा किले में एक शिला संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संरक्षण कार्यों में सही गुणवत्ता के पत्थर प्रयुक्त किये जा रहे हैं। प्रत्येक शिला को प्रयोग से पूर्व भौतिक गुणों जैसे रंग, जल अवशोषण, कठोरता, संरध्रता तथा संपीड़न शक्ति के आकलन हेतु परीक्षण से गुजरना होता था।

हमने पाया कि आगरा परिमंडल में 2007-08 से 2011-12 की अवधि में ₹ 3.44 करोड़ की लागत के 13 संरक्षण कार्यों में प्रयुक्त पत्थरों का शिला संरक्षण प्रयोगशाला में कभी परीक्षण नहीं किया गया। इस उल्लंघन के कोई कारण अभिलेखों में नहीं थे।

पुरातत्व कार्य संहिता के अनुच्छेद 8.3.2 ने रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग में आने वाले रासायनिक तथा अन्य उपभोज्य भंडारों के लिए एक पृथक पंजिका रखे जाने पर जोर दिया है। परन्तु, प्रत्येक कार्यालय के प्रमुख द्वारा सभी रसायनों का ठीक तथा न्यायोचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना था।

हमने पाया कि श्री गुरू राम राय दरबार देहरादून में भित्ति चित्रों के कार्य तथा गोपेश्वर, देहरादून में त्रिशूल के परिरक्षण कार्य हेतु रसायन खरीदे गए। तथापि, भित्ति चित्रों के मामले में लगभग 45 प्रतिशत रसायन तथा त्रिशूल के कार्य हेतु 95 प्रतिशत से अधिक रसायन अप्रयुक्त बचे रहे जिन्हें सीलनदार भंडारगृहों में रखा गया था।

भोपाल मंडल में 2005 से 2009 के दौरान ₹ 3.66 लाख के मूल्य के रसायन खरीदे गये जिन्हें समय पर प्रयोग न किये जाने से उनकी स्वयं आयु समाप्त हो गई।

इसके अतिरिक्त निम्न कमियाँ भी देखी गईः

- देहरादून में नौ प्रयोगशालाओं (लैबों) में से चार[35] पिछले दस वर्षों से गैर-कार्यात्मक पड़ी हुई थीं।

[35] चार प्रयोगशालाएं जो कार्यात्मक नहीं हैः 1.भू-कालानुक्रमिक प्रयोगशाला, 2. सतती जाँच प्रयोगशाला (इलैक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी) 3. रेडियोग्राफिक प्रयोगशाला तथा 4. पर्यावरणीय प्रदूषण तथा निवारकों के उपयोग के अध्ययन हेतु प्रयोगशाला

- प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपकरणों तथा रसायनों के लिए भण्डार पंजिका नहीं रखे जा रहे थे।
- इन लैबों में किये गये विश्लेषणात्मक अथवा रासायनिक उपचार कार्यों के विस्तृत विवरण जैसा कि भा.पु.स. मैनुअल में निर्धारित है, नहीं रखे गए।
- महानिदेशक भा.पु.स. को अप्रैल 2008 में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बावजूद इन प्रयोगशालाओं में दो दशकों से भी पुराने उपकरण बदले नहीं गए थे।
- निदेशक (विज्ञान) अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को रसायनों की आपूर्ति हेतु फर्मो को चुनने तथा उनकी दरें तय करने के लिए उत्तरदायी था। परन्तु बिना कोई कारण बताए अप्रैल 2011 से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
- निदेशक (विज्ञान) ने उन फर्मो के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी जिन्होंने दर-अनुबंध होने पर भी रसायनों की आपूर्ति नहीं की।

4.10.5 रासायनिक उपचार के खराब संरक्षण के प्रकरण

हैदराबाद परिमंडल में लेपाक्षी मंदिर अपने भित्ति चित्रों के लिए सबसे अधिक प्रख्यात था। चित्रों से स्मारक का इतिहास पता चलता था तथा वे स्मारक की सौंदर्यात्मक विशिष्टता भी बढ़ाते थे। हमने पाया कि श्री वीरभद्र स्वामी के मंदिर के चित्रों पर रसायनिक उपचार के बावजूद वे नहीं दिख रहे थे क्योंकि छत से रिसाव था तथा कपूर, तेल तथा अगरबत्तियों के जलाने से कालिख बन गई थी।

उत्तराखण्ड परिमंडल के गोपीनाथ मंदिर के अहाते में स्थित प्राचीन त्रिशूल व फरसा का रासायनिक संरक्षण कार्य ₹ 0.79 लाख हेतु संस्वीकृत किया गया था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि जैसा निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट है, कार्य सही ढंग से नहीं किया गया था तथा जंग दिखाई दे रहा था।

लेपाक्षी मंदिर हैदराबाद में क्षतिग्रस्त भित्ति चित्र

इसी प्रकार के उदाहरण हैदराबाद परिमंडल के श्री रामप्पा मंदिर तथा दिल्ली परिमंडल के गियासुद्दीन मकबरें में देखे गए।

रसायन संरक्षण के पश्चात रामअप्पा मंदिर में जल का रिसाव

गियासुद्दीन का मकबरा, दिल्ली में धब्बे

उत्तराखण्ड परिमंडल के गोपीनाथ मंदिर के अहाते में स्थित प्राचीन त्रिशूल व फरसा का रासायनिक संरक्षण कार्य ₹ 0.79 लाख हेतु संस्वीकृत किया गया था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि जैसा निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट है, कार्य सही ढंग से नहीं किया गया था तथा जंग दिखाई दे रहा था।

त्रिशूल पर लगा जंग

फरसे पर लगा जंग

मामला अध्ययन 5 : कोस मीनारें

कोस मीनारें अथवा 'मील स्तंभ' मध्ययुगीन मील के पत्थर थे जिन्हें अफगान शासक शेरशाह सूरी ने तथा तत्पश्चा मुगल बादशाहों द्वारा निर्मित किया गया। इन मीनारों को मुगल साम्राज्य के आर-पार प्रमुख राजमार्गो पर दूरी सूचित करने (3.2 किलोमीटर अर्थात एक कोस की दूरी पर) हेतु खड़ा किया गया। एक कोस मीनार आम तौर पर एक ठोस गोल स्तंभ थी जिसकी ऊँचाई 30 फीट थी तथा जो ईटों से चिनाई किए गये चबूतरे पर खड़ी की जाती थी और उसे चूने से पलस्तर किया जाता था। मुगलकाल में ये संचार तथा यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग थे। भा.पु.स. ने पाँच परिमंडलों में स्थित 110 कोस मीनारों अर्थात 63 चण्डीगढ़ में, आठ जयपुर में, 15 आगरा में, 23 लखनऊ में तथा एक दिल्ली परिमंडल में, को सुरक्षित किया। हमारी संवीक्षा ने दिखाया कि कोस मीनारों का स्मारकों की एक विशिष्ट श्रेणी के तौर पर भा.पु.स. द्वारा शोध एवं विश्लेषण नहीं किया गया। हमारे संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षणों में हमने 40 कोस मीनारें (कुल कोस मीनारों का 36 *प्रतिशत*) चुनी तथा पाया कि उनमें से कई पर अतिक्रमण किया गया था, कई गायब थीं तथा कई को परिरक्षण की तत्काल आवश्यकता थी। (**अनुबंध 4.2** में ब्यौरा दिया गया है)।

i) हमने भा.पु.स. द्वारा सुरक्षित किये जाने हेतु कोस मीनारों के चयन में कोई व्यवस्था नहीं पायी। कई कोस मीनारों की पहचान एक विशिष्ट संख्या द्वारा की गई थी जैसे कोस मीनार संख्या 13, कोस मीनार संख्या 16,17,24 इत्यादि। परन्तु भा.पु.स. के पास गायब संख्याओं पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। कुछ मामलों में विभिन्न कोस मीनारें एक एकाकी संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित थीं उदाहरणतः चण्डीगढ़ परिमंडल में तरफ उनसर, पानीपत में स्थित दो कोस मीनारें एक पृथक स्मारक के तौर पर अधिसूचित थीं। भा.पु.स. दिल्ली में एक कोस मीनार की सुरक्षा

कर रहा था जबकि तीन कोस मीनारें दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा भी सुरक्षित की जा रही थी।

ii) मुजेस्सर, बल्लभगढ़ हरियाणा में कोस मीनार नं. 13, तथा चण्डीगढ़ मंडल के शाहबाद, कुरूक्षेत्र में कोस मीनार गायब पायी गई। जिला प्राधिकारियों ने भा.पु.स. को (जनवरी 1984) सूचित किया कि कोस मीनार 13 की भूमि एक निजी कंपनी को आबंटित कर दी गई थी तथा कोस मीनार को कंपनी द्वारा ढहा दिया गया था। कंपनी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी।

2004-05 में कोस मीनार, शाहबाद, कुरूक्षेत्र की भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी तथा भूखंड निजी पार्टियों को बेच दिए गए। वर्तमान में वहाँ कई भवन निर्मित किये जा चुके थे। राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक का कोई चिन्ह नहीं था। भा.पु.स. के पास कोई जानकारी नहीं थी कि स्मारक कब और कैसे गायब हो गया।

iii) भौतिक निरीक्षण की गई 40 कोस मीनारों में से, यह पाया गया कि 20 कोस मीनारें बिना किसी सुरक्षा सूचना पट्ट के थीं तथा 36 में उनकी महत्ता तथा इतिहास समझाने हेतु सांस्कृतिक सूचना पट्ट नहीं थे।

iv) 17 कोस मीनारों तक कोई पहुँच मार्ग नहीं थे। दिल्ली परिमंडल में कोस मीनार दिल्ली चिडियाघर के भीतर स्थित थी तथा चिड़ियाघर प्राधिकारियों की अनुमति के बिना उस तक नहीं पहुँचा जा सकता था।

दिल्ली, लखनऊ तथा आगरा परिमंडलों ने 2007-12 के दौरान कोस मीनारों के संरक्षण तथा परिरक्षण पर कोई व्यय नहीं किया। चण्डीगढ़ परिमंडल ने इन कोस मीनारों के संरक्षण पर ₹ 36.20 लाख की राशि का व्यय किया। चण्डीगढ़ परिमंडल के कुल स्मारकों का 51 *प्रतिशत* कोस मीनारें थीं। परन्तु इन 51 *प्रतिशत* स्मारकों पर पिछले पाँच वर्षो में किये गए कुल व्यय का केवल 0.65 *प्रतिशत* व्यय किया गया। जयपुर मंडल ने एक कोस मीनार पर ₹ 0.41 लाख तथा 5 कोस मीनारों पर ₹ 0.17 लाख का व्यय किया। 2 कोस मीनारों पर कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया।

v) संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि हरियाणा परिमंडल के पलवल जिले में बंचारी स्थित कोस मीनार सं. 24 जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। कोस मीनार आस पास के किसानों द्वारा अतिक्रमण किये गये एक खेत में स्थित थी। स्थल तक पहुँचने का कोई प्रवेश मार्ग नहीं था तथा जालीदार चार दीवारी हटा दी गई थी।

मीनार संख्या 24, बंचारी की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

vi) लगभग 21 कोस मीनारों के समीप निषिद्ध/नियमित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण कार्य देखे गये। सात कोस मीनारों में किसानों तथा स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

जयपुर तथा चंडीगढ़ परिमंडलों में कोस मीनारों में अतिक्रमण के मामले देखे गए। अजमेर रोड, जयपुर स्थित कोस मीनार को पुलिस अधीक्षक (एस.पी) के आवास द्वारा ढक दिया था तथा चंडीगढ़ परिमंडल के होडल में कोस मीनार सं. 26 एक निजी आवास के भीतर स्थित थी जहाँ कोस मीनार के चारों तरफ एक दीवार निर्मित कर दी गई थी जिससे उसका लगभग आधा हिस्सा ढक गया था।

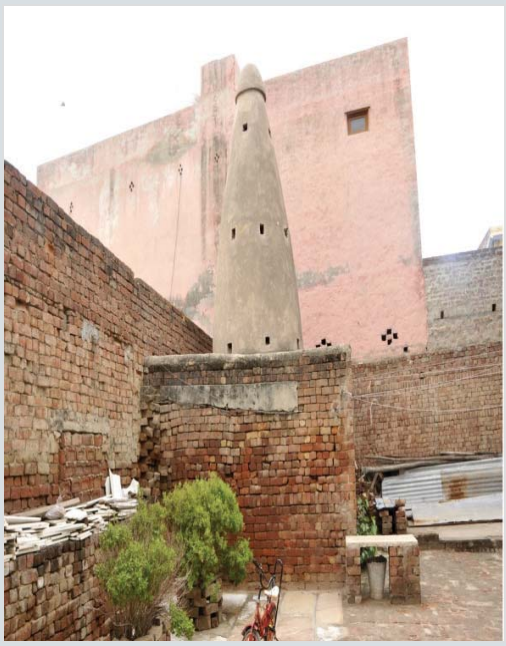

कोस मीनार सं. 26, होडल स्थित
निजी आवास द्वारा अतिक्रमण

कोस मीनार जयपुर–अजमेर रोड जयपुर स्थित
कोस मीनार का पुलिस अधीक्षक आवास द्वारा अतिकमण

इन कोस मीनारों के समुचित रख-रखाव तथा संरक्षण पर स्मारक परिचर तथा सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किये गये थे।

हमारे मतानुसार कोस मीनारों की सुरक्षा समान रूप से एक पृथक परियोजना के रूप में की जानी चाहिए। मिर्धा समिति ने भी ऐसी कार्यवाही की अनुशंसा की थी। परन्तु भा.पु.स. द्वारा इन स्मारकों के संरक्षण हेतु ऐसी कोई परियोजना आरंभ नही की गई थी।